कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक हुए / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 2 व / 04 / 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

जनपद विजनौर में विजनौर एवं नजीवावाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to kotdwar pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीवावाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 है0 आरक्षित वनभूमि एवं वाधक 1238 वृक्ष एवं साठवाठ प्रभाग, विजनौर के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 है0 संरक्षित वनभूमि एवं वाधक 121 वृक्ष अर्थात कुल 5.27हे0 संरक्षित एवं आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (File No.- FP/UP / Road / 157011/2022)

सन्दर्भः –

आपकी पत्र संख्या-2398/11-सी, दिनांक 21.02.2025

महोदय.

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त संदर्भित पत्र के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, नजीवाबाद ने अपनी पत्र संख्या—3396/4—1, दिनांक 21—04—2025 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, विजनौर ने अपनी पत्र संख्या—5259/14—1, दिनांक 29—04—2025 द्वारा विषयगत वांछित सूचना/अभिलेख ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित किया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, नजीवावाद एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, विजनौर द्वारा ऑनलाईन उपलब्ध कराये गये विषयगत वांछित सूचना/अभिलेख सहमति सहित ऑनलाईन इस

आशय से प्रेषित है कि कृपया विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

(रमेश चेनी)\\ वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, \[भूरादाबाद क्षेत्र, मुराद्माबाद।

पत्रांक- 2840 / 14-1, उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- 1-मुख्य वन संरक्षक, रूहेलखण्ड जोन, उ०प्र०, बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रभागीय निदेशक / वनाधिकारी, नजीबाबाद एवं विजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित।

व-****

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, भूगदाबाद क्षेत्र, मुख्याबाद।

0)

Swinz Kg poolund

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिकवानिकीप्रभाग, विजनौर पत्रांक 5259/14-1 विजनौरदिनांक अप्रैल, 29 ,2025

सेवा में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक

गुरादावाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय:-

जनपद विजनीर में विजनीर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग, के अन्तर्गत Construction of 4-Laning of Kotdwar Bypass of NH-119 Connecting Najibabad-Kotdwar to kotdwarpauri road in the State of Uttar Pradesh Under BharatmalaPariyojna Lot No-4 package-2 from Ch.0-000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय बनाधिकारी नजीवाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 है0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात कुल 5.27 है0 संरक्षित एवं आरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमित के संबंध में। प्रस्ताब सं0-

FP/UP/Road /157011/2022

सन्दर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पृष्ठांकित पत्र

संख्या-2398 /11-सी-FP/UP / Road /157011/2022 लखनऊदिनांक 21.02.2025

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त पत्र में वर्णित बिन्दु इस वन प्रभाग से संबंधित नहीं है।

भवदीय *मिश्नं* प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, विजनौर।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीवाबाद पत्रॉक 3396/4-1दिनॉक,नजीबाबाद 21 अप्रैल,2025

संता गे

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक

विषय:-

जनपद विजनौर में विजनौर एवं नजीवाबाद वन प्रभाग के अन्तर्मत Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NII-119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4 Pekage-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक वौडीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गतं प्रभावित 4. 61हें0 आरक्षित वन भूगि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं साठमाठ प्रभाग विजनौर के अन्तर्गत प्रभावित 0.66हें0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात कुल 5.27 हें0 संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमित के सम्बन्ध में L (Online Proposal No. FP/UP/ROAD/ 157011/2022)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या 8वी/यू०पी०/०६/०७/२०२५/एफ.सी/183 दिनांक २०.०२.२०२५ एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ०५० लखनऊ की पत्र संख्या 2398 / 11-सी दिनॉक 21 02,2025 |

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त संदर्भित पत्र के कम में परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना कियान्वयन इकाई-नजीवाबाद का पत्र रां० 17626 दिनोंक 27.03.2025 द्वारा विषयगत वांछित सूचना / अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर प्रेपित किया है।

अतः परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना कियान्वयन इकाई-नजीबाबाद द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराये गये विषयगत वांछित सूचना / अभिलेख सहमति सहित ऑनलाइन इस आशय से प्रेषित है कि कृपया विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः - उपरोक्तानुसार

भवदीय.

ARRY प्रभागीय वनाधिकारी विजनी अप्र प्रमाग नजीवावाद

संख्या 3396 /4-1 उक्तिदिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक / गोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना कियान्वयन इकाई-नजीवावाद।

ARDI

प्रभागीय वनाधिकारी विजनौर विक्रमाग नजीवावाद

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद पत्रॉक 3/48/9—1दिनॉक नजीबाबाद 🏖 मार्च,2025

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव/ मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ०प्र० लखनऊ।

विषय:-

जनपद विजनौर में विजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4 Pekage-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4. 61हे0 आरक्षित वन भूगि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं सा0मा0 प्रभाग विजनौर के अन्तर्गत प्रभावित 0.66हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात कुल 5.27 है0 संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UP/ROAD/ 157011/2022)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या ८वी / यू०पी० / ०६ / ०७ / २०२५ / एफ.सी. / १८३ दिनांक २०.०२.२०२५ ।(संलग्न)

महोदय.

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके बिन्दसुख्या 4 के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के द्वारा उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में Wildlife mitigation plan तैयार कर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक टिप्पणी सहित प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार Wildlife mitigation plan तैयार कर टिप्पणी हेतु सादर आपकी सेवा में प्रेषित किया जा रहा हैं।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय, *भिश्च* प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाब्ट्व।

संख्य

3/08 / 6-1 <u>उक्त दिनांकित।</u> प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को उक्त कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1:- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2:- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद।

-3:- परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय,भारत रारकार परियोजना कियान्वयन इकाई-नजीवाबाद।

ि प्रभागीय वनाधिकारी विजनौर वन प्रभाग नजीवाबाद

Proposed)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एव राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई - नजीबाबाद | Project Implementation Unit-Najibabad

म् न०-उए/2, प्रथम तल, सिद्धबली विहार कॉलोनी, कोतवाली रोड, नजीबाबाद, बिजनीर (उठप्र०) | H.No,-3A/2, 1st Floor, Siddhball Vihar Colony, Kolwali Road, Najibabad, Bijnor (UP)

दूरभाप/Phone : +91-1341-230162 | CUG : +91 8130006113 | ई-मेल/E-mail:piunazibabad@nhai.org

बेबसाइट /Website : www.nhai.org

NHAI/PIU-NBD/NH-119/77009/Forest (Bijnor)/KTW BYP/2023/17626

Dt.27.03.2025

सेवा में.

प्रमागीय वनाधिकारी, विजनौर वन प्रभाग नजीवावाद।

विषयः जनपद— बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रमाग के अन्तर्गत Construction of 4 laning of Kotdwar Bypass of NH-119 connecting Najibabbad-Kotdwar to Kotdwar-Pauri Road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Pakage-2 from Ch. 0+000 to 5+900 तक चौड़ीकरण में प्रमागीय वनाधिकारी, नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रमावित 4.61हें0 आरक्षित वनमूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रमाग के अन्तर्गत प्रमावित 0.66हें0 संरक्षित वनगूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात कुल 5.27हें0 संरक्षित एवं आरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0— FP/UP/ROAD/157011/2022

सन्दर्भः सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक 8वी / यू०पी० / 06 / 07 / 2025 / एफ.सी. / 183 दिनांक 20.02.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक 8वी/यू0पी0/06/07/2025/एफ.सी./183 दिनांक 20.02.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कप्ट करें, जिसके माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव पर परीक्षणोपरान्त निम्न विन्दुओं पर आवश्यक सूचना/जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में चाहे गये विन्दुओं पर सूचना/जानकारी निम्नानुसार है:-

S. No.	EDS/Observations	Compliances
Š1	As per the proposal, CA has	It is to submit that, 5.27 ha. CA land was proposed by NHA
	been proposed in Non-Forest	in khasra no. 1215घ village- Sabalgarh, Tehsil- Najibabad
	land but according to DSS the	Distt Bijnor. The said land was in the ownership o
	proposed CA falls under the	revenue department and as per revenue records (Annex-1)
	Forest boundary. This needs	the said land is 6-4 category and is muted as देड़। The join
	clarification/ rectification.	verification was conducted with the officials of Revenue
		Department, Forest Department, Forest Settlement Office
		and NHAI on dated 28.02.2024 and demarcation of land was
		done in reference of Forest and Revenue land records. Copy
		of report of the joint verification/demarcation is enclosed
		(Annex-2). Further, it is to mention land suitability
		certificate (Annex-3) for the said land for CA was issued by
•		DFO, Bijnor Forest Division, Najibabad after the
		verification of land in all aspects like section 20 & 48 and
		Forest/Revenue maps. After that, District Majistrate, Bijnor
		vide order dated 17.07.2024 (Annex-4) has muted the said
		land in the name of Forest Department, UP, Lucknow. Copy
		of latest Khatauni is enclosed (Annex-5).
		It is also to mention here that a joint
		verification/demarcation by the officials of Revenue

1816.

		Department, Forest Department and NHAI has also been re- conducted after the receipt of subject EDS from IRO. Lucknow on dated 10.03.2025 regarding to verify the said land parcel is in the ownership of Forest Department or not. The copy of report is enclosed (Annex-6) in which it is clearly mentioned that the earlier joint verification was right and subject land parcel was in the ownership of Revenue Department and out of the Forest boundary.
2.	Geo-referenced cadastral map overlaying with the proposed CA land polygon and forest boundary needs to be submitted.	Geo-referenced cadastral map overlaying with the proposed CA land polygon and forest boundary is enclosed as (Annex-7).
3.	Cross section plan of the project is not legible. This needs to be re-uploaded on PARIVESH portal with high DPI.	Legible copy of Plan and TCS have been uploaded on PARIVESH Portal and enclosed as (Annex-8).
4.	Since the forest land proposed for diversion under forest division Najibabad is part of notified Elephant Reserve. Thus, the comments from the Chief Wildlife Warden along with Wildlife mitigation plan needs to be submitted.	Wildlife mitigation plan is enclosed as (Annex-9). Further, it is requested to Forest Department to obtained the comments from Chief Wildlife Warden.
5.	NOC from the concerned dept. (like Irrigation, PWD, Railway etc.) needs to be submitted.	NOC obtained from Railway Department is enclosed as (Annex-10).
6.	Approval details of existing highway under VSESA, 1980 needs to be submitted.	Copy of Notification is Enclosed as (Annex-11).
7.	It is not clear from the proposal that what is the status of widening before & what is after proposed alignment.	Field) which a Bypass of Kotdwar Town. Proposed bypass
8.	Detailed muck calculation & muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	Approx. 3.5 Km section is elevated. There is no cutting of
9.	Details of existing ROW proposed ROW and land width	representation of the project is new (green new minimum)

Per

(ROW) availability for road side plantation needs to be submitted and accordingly plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted. Plantation under the clevation portion of the proposed highway (as per space available within the PRoW) will be carried out as per IRC Guidelines along National Highways.

अतः विषयांकित प्रस्ताव में चाही गयी सूचना/जानकारी उपरोक्तानुसार प्रेपित की जा रही है तथा ऑनलाइन पार्ट-1 में यथारथान अपलोड की जा चुकी है। वन विभाग से सम्बन्धित सूचना का प्रेषण अपने स्तर से करते हुए प्रस्ताव को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेपित करने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

भवदीय

(आर०के० नागरवाल) परियोजना निदेशक प0का०ई०—नजीवावाद

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी, विजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

3. वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. मैं एस०ए० इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा० लिं० को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित से समन्वय स्थापित करते हुए विषयांकित प्रस्ताव में आवश्यक स्वीकृति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।